मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

ब्लॉक नं.–7, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर–482008, (म.प्र.)
CIN: U40109MP2002SGC015120 Website: www.mpez.co.in
दूरभाष:0761–2702020, फैक्स: 0761–2661219, 2669005
ईमेल–cgmhr.mpez@mp.gov.in

क्रमांक प्र.सं./पू.क्षे./मु.महा.प्र.(मा.सं.एवं प्रशा.)/मा.सं./ला.प.(सं.)–18/3218 जबलपुर दिनांक 31.5.18

लाईन परिचारक (संविदा) 2018 के पदों की भर्ती हेतु परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

(केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए)

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर में लाईन परिचारक (संविदा)–2018 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑन लाईन परीक्षा आयोजित कर प्रावीण्य (मैरिट) सूची पश्चात् शारीरिक दक्षता के आधार पर संविदा नियुक्ति हेतु म.प्र.राज्य के मूल निवासी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। संभावित रिक्तियाँ निम्नानुसार है:

विवरण	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल रिक्त पद
संभावित रिक्त पदों की संख्या	36	14	8	9	67
उपरोक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों हेतु समस्तरीय एवं श्रेणीवार आरक्षित पद	7	3	2	2	14

टीप – पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है या स्थगित/निरस्त भी किया जा सकता है।

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता:

1.1 दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण ।

1.2 केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ संस्था से आई. टी. आई (विद्युतकार/ लाईनमेन/वायरमेन) परीक्षा उत्तीर्ण (अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर) (आई.टी.आई. में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रीकल सेक्टर से शहडोल रतलाम रामपुरा एवं नर्मदानगर आई. टी.आई.से दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे)

ऐसे आवेदक जो आई. टी. आई (विद्युतकार/ लाईनमेन/वायरमेन) परीक्षा के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर में हों, आवेदन कर सकते हैं किन्तु दस्तावेजों के सत्यापन के समय उन्हें आई. टी. आई (विद्युतकार/ लाईनमेन/वायरमेन) परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची प्रस्तुत करनी होगी।

अथवा

दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) म.प्र. शासन/म.प्र. की विद्युत् वितरण कंपनियों द्वारा जारी तार मिस्त्री (ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य में) प्रमाण पत्र |

2. पात्रता: केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए |

3. आयु सीमा:

3.1 आयु सीमा की गणना कैलेंडर वर्ष में 01 जनवरी से की जावेगी |

3.2 म.प्र. शासन (सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र क्र. 3-8/2016/3-I दिनांक 12-05-2017 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार रहेगी:

स.क्र.	आवेदक श्रेणी	म.प्र. के मूल निवासी हेतु अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)
1	पुरुष (अनारक्षित वर्ग)	40
2	महिला (अनारक्षित वर्ग)	45
3	पुरुष/महिला (शासकीय/निगम/मंडल/स्वसायी संस्थान एवं होम गार्ड कर्मचारी)	45
4	पुरुष/महिला (आरक्षित वर्ग-अ.जा/ अ.ज.जा/अ.पि.व.)	45
5	पुरुष/महिला (आरक्षित वर्ग- शासकीय/निगम/मंडल/स्वसायी संस्थान एवं होम गार्ड कर्मचारी)	45

3.3 म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडिंग, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्य स्त्रोत पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर, लाईन परिचारक (संविदा) के रूप में 5 वर्ष से कम कार्य किया है अथवा कर रहे है, उन्हें कुल कार्यअनुभव (पूर्ण माह) की अवधि के समतुल्य अधिकतम आयु में छूट प्राप्त होगी। 5 वर्ष या अधिक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्याधीन होगी।

आवेदक को कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता का प्रमाणपत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त/सेवा समाप्त की गयी हो, को छूट की पात्रता नहीं होगी।

4. आवेदन करने की विधि:

4.1 आवेदन केवल एम.पी.ऑनलाइन (www.mponline.gov.in) के माध्यम से प्राप्त होंगे। एम.पी. ऑनलाइन वेबसाइट की लिंक कंपनी की वेबसाइट (www.mpez.co.in) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

4.2 आवेदक द्वारा निम्नांकित दस्तवेजो की स्कैन्ड प्रति अपलोड की जावेगी :

(i) हाई स्कूल की अंकसूची |

(ii) केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से उत्तीर्ण आई.टी.आई (विद्युतकार/लाइनमैन/ वायरमैन) की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र |

(iii) स्थायी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदक हेतु), जोकि म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र.F 7-2/92/आ.प्र/एक दि.01-08-96 एवं उत्तरवर्ती संशोधन (यदि हो तो) के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो |

(iv) म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र |

(v) भूतपूर्व सैनिकों हेतु जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी सेवा संबंधी प्रमाणपत्र |

(vi) कार्यानुभव प्रमाण पत्र (केवल विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में मान्य)|

5. <u>आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क:</u>

5.1 म.प्र. के मूल निवासी अनारक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु आवेदन शुल्क रु.1000/- रहेगा | म.प्र. के मूल निवासी अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर) आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रु.800/- रहेगा |

5.2 आवेदन एम.पी.ऑनलाइन किओस्क के माध्यम से नगद भुगतान करके भी किया जा सकता है|

5.3 आवेदकों को आवेदन में सुधार हेतु, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पहले पोर्टल शुल्क रु.60/- का भुगतान करने पर एक अवसर प्रदान किया जावेगा |

5.4 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा की आदर्श उत्तर पुस्तिका एम.पी. आनलाईन की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी। जिसे प्रकाशन तिथि से 03 दिवस के अंदर चुनौती दी जा सकती है। उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यदि चुनौती दी जाती है तो उम्मीदवारों को रूपये 50/– राशि जमा करनी होगी।

6. <u>चयन प्रक्रिया:</u>

6.1 ऑनलाइन आवेदन एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा | विज्ञापन के अनुसार आवेदन फॉर्म प्रारंभ दिनांक से एक महीने की अवधि के लिए लाइव होगा |

6.2 ऑनलाइन परीक्षा हिंदी भाषा में दो घंटे की अवधि की होगी | परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे (प्रति प्रश्न 1 अंक), जिसमे से 75 प्रश्न 10 वीं कक्षा एवं आई.टी.आई. (विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन) तथा 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे | गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग नही की जावेगी| ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंको व बोनस अंकों के आधार पर चयन किया जावेगा |

6.3 ऑनलाइन परीक्षा में दो या दो से अधिक अवेदकों के प्राप्तांको के सामान होने पर वरीयता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:

(अ) जन्मतिथि के अनुसार अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |

(ब) समान जन्मतिथि होने पर अर्हकारी परीक्षा (आई.टी.आई) में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |

(स) एक या एक से अधिक आवेदकों के उपरोक्त दोनों शर्तों के समान होने पर कक्षा 10वीं में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |

6.4 अनारक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु कटऑफ 40% रहेगा एवं अ.जा/ अ.ज.जा/ अ.पि.व. के आवेदकों हेतु कटऑफ 30% रहेगा |

6.5 ऐसे आवेदक जिन्होंने म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी में ठेके पर मीटर रीडिंग, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्य स्त्रोत पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर, लाईन परिचारक (संविदा) के रूप में कम से कम 3 वर्ष कार्य किया है, को आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों पर कार्यानुभव के सापेक्ष 10 प्रतिषत बोनस अंक जोड़े जावेंगे, परन्तु ऐसे आवेदक जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को पात्रता नहीं होगी। बोनस अंक की पात्रता केवल ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं। कार्यअनुभव की गणना अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पृथक–पृथक कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि को जोड़कर आनलाईन आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक (पूर्ण माह) में की जावेगी।

6.6 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिषत अंक अर्जित करने पर ही कार्यानुभव के सापेक्ष पात्रतानुसार अर्जित बोनस अंक जोड़कर संयुक्त प्रावीण्य (मैरिट) सूची संधारित कर चयन प्रकिया की जावेगी।

6.7 तार मिस्त्री प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव के सापेक्ष अधिकतम आयुसीमा में छूट एवं बोनस अंकों की पात्रता नहीं है।

6.8 शारीरिक दक्षता हेतु चयनः शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनी की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी |

6.9 शारीरिक दक्षता परीक्षा: ऑनलाईन परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्न परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा:

(अ) निम्नदाब लाईन के खम्बे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलो ग्राम वजन लेकर 2 मिनिट में चढ़ना एवं उतरना |

(ब) टूल-किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनिट में 01 किलो मीटर पैदल चलना |

(स) उपरोक्त दोनों उपखण्ड (अ) एवं (ब) में उल्लेखित शारीरिक दक्षता उतीर्ण करना आवश्यक है |

(द) एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उतीर्ण न करने पर पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा नही ली जावेगी|

7. <u>यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति:</u>

अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व.(नॉन क्रीमी लेयर) के आवेदकों को यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति म.प्र.शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दि.13-09-13 अनुसार एकल किराया राशि देय होगी |

8. <u>चयन एवं नियुक्ति:</u>

8.1 प्रतियोगी परीक्षा एवं अनुभव के बोनस अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी जिसमे समस्त उम्मीदवारों की एक संयुक्त प्रावीण्य सूची एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पृथक–पृथक प्रावीण्य (मैरिट) सूची तैयार की जावेगी।

8.2 उम्मीदवारों को प्रावीण्य सूची के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। इस हेतु न्यूनतम 15 दिवस का समय दिया जायेगा। प्रावीण्य सूची में सम्मिलित होने के बावजूद शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल नहीं होने पर अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

8.3 संयुक्त प्रावीण्य सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक से कोई सूचना कंपनी द्वारा प्रेषित नहीं की जावेगी। इस हेतु अभ्यर्थी एम.पी. आनलाईन की वेबसाईट पर अपना स्थान देख सकेंगे। शारीरिक दक्षता परिक्षण एवं दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अभयर्थी को लाइन परिचारक (संविदा) के पद अनुबंधित किया जावेगा।

8.4 उम्मीदवारों द्वारा एम.पी.ऑनलाइन की वेब साइट पर अपनी जानकारी दर्ज कर स्कोर कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है | स्कोर कार्ड ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के लिए जारी किया जाएगा।

8.5 प्रावीण्य सूची परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी । प्रतीक्षा सूची कंपनी की आवश्यकता के अनुसार तैयार की जाएगी । हालांकि, एक वर्ष से पहले भी विशिष्ट आदेश जारी करके भर्ती प्रक्रिया को प्रतीक्षा सूची के संचालन के लिए बंद किया जा सकता है। प्रक्रिया को बंद करने के विशिष्ट आदेश जारी करने के बाद किसी भी उम्मीदवार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा|

8.6 कार्य की प्रकृति: लाईन परिचारक (संविदा) की नियुक्ति पर उम्मीदवार को विद्युत वितरण से संबंधित कार्य, विद्युत लाईन के निर्माण कार्य जिसमें गड्डा खोदने, सामान की ढुलाई एवं लाईन तैयार करनें एवं उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित सभी श्रम साध्य कार्य एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार आवंटित अन्य कार्य करना होगे।

9. <u>आरक्षण:</u>

9.1 म.प्र. के मूल निवासी अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर) के आवेदकों हेतु म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार पद आरक्षित रहेंगे |

9.2 अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व.(नॉन क्रीमी लेयर) के लिए पदों का आरक्षण केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होगा |

9.3 म.प्र. शासन के राजपत्र दिनांक 11 जनवरी 2010 से संशोधित नियम 4 (ख) सहपठित राजपत्र दिनांक 16 जनवरी 2018 से संशोधित नियम 4 (ख) के अनुसार श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/ सहरिया आदिम जनजाति, जिला छिन्दवाडा के तामिया विकासखंड की भारिया आदिम जनजाति और जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर एवं निर्धारित आयु सीमा में होने पर, भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को ऑन लाईन आवेदन पत्र की प्रति कंपनी के जबलपुर स्थित कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), ब्लाक न. 7, चतुर्थ तल, शक्ति भवन, जबलपुर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

9.4 मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्र.सी 3-8/2015/एक-3, भोपाल, दि.15 जून 2017 के माध्यम से म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लि. जबलपुर को लाइन परिचारक के पदों की सीधी भर्ती हेतु महिला आरक्षण से छूट प्रदान की गयी है |

9.5 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को म.प्र.शासन के नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा| शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण हारिजान्टल एवं कम्पार्टमेंट वाईज है । इन पदों हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद केरीफारवर्ड नही होंगे । ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। यदि चयनसूची में पहले से ही 20 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरीट के आधार पर उपलब्ध होगे तो पृथक से आरक्षण और नही दिया जायेगा|

9.6 म.प्र.राज्य के भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवा के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें स्पष्ट हो कि सेवाकाल के दौरान इन्हें गंभीर दण्ड से दंडित नही किया गया है। दंडित भूतपूर्व सैनिक लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर भर्ती के पात्र नही होगें।

9.7 म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र. एफ 7-47 / 2016 / आ.प्र / एक दिनांक 01.01.2018 अनुसार धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद जाति के उम्मीदवारों को प्रभावी दि.11.11.2005 से अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आरक्षण नहीं दिया जाएगा |

9.8 उक्त सभी आरक्षण केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होंगे |

9.9 किसी भी स्थिति में आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं होगा।

10. <u>पात्रता के संबंध में सामान्य शर्तें:</u>

10.1 उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |

10.2 पात्रता मापदंड, शिक्षा एवं आयु को पूर्ण करने वाले शासकीय/अर्ध शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों में कार्यरत उम्मीदवारों को उचित चैनल के माध्यम से आवेदन करना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा | शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय ऐसे अभ्यर्थी को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नही होगी |

10.3 ऐसे उम्मीदवार जिनके तृतीय बच्चे का जन्म दिनांक 26.01.2001 अथवा उसके बाद हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि पहले बच्चे के बाद जुड़वा बच्चे पैदा हुए हों |

10.4 चयन के समय अथवा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज अंकसूची इत्यादि कूटरचित/फर्जी/बनावटी प्रस्तुत किये है अथवा उसका चयन गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो उसको तत्काल सेवा/अनुबंध से न केवल पृथक किया जाएगा वरन् उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी |

10.5 उम्मीदवार का चयन होने पर कार्यग्रहण करने से पहले जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है |

10.6 ऐसे आवेदक जिन्हें म.प्र.राज्य की किसी भी विद्युत कंपनी द्वारा पदच्युत (DISMISS) किया गया हो, को आवेदन की पात्रता नही होगी |

10.7 ऐसे उम्मीदवार जो विवाहित होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले शादी कर चुके हैं, म.प्र.शासन के राजपत्र पर प्रकाशित अधिसूचना दि.10.03.2000 के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं |

10.8 म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के आदेश क्र.3-17-96-3-II भोपाल दिनांक 25.10.96 में निहित प्रावधान भी लागू होंगे |

11. <u>प्रशिक्षण</u>: 1 माह जिसमे 15 दिवस मैदानी व 15 दिवस संस्थागत प्रशिक्षण सम्मिलित होगा |

12. <u>सेवा अनुबंध</u>: 500 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सेवा अनुबंध निष्पादित करना होगा |

13. <u>संविदा पारिश्रमिक:</u>

लाइन परिचारक (संविदा) को म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2018 के अनुसार पारिश्रमिक रु. 17550 + मंहगाई भत्ता (1 जनवरी को लागू) देय होगा |

टीप: उपरोक्त वर्णित पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वर्तमान नियमों में संशोधन अथवा नए नियम लागू किये जाने की स्तिथि में परवर्तनीय होगी |

14. <u>जाति प्रमाण पत्र एवं चरित्र एवं पूर्ववर्ती जानकारी का सत्यापन:</u>

14.1 प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रवेश और प्रारंभिक नियुक्ति, कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार चरित्र और पूर्ववर्ती जानकारी के साथ पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के संतोषजनक सत्यापन के अधीन होगी | अभ्यर्थी की नियुक्ति संतोषजनक चरित्र सत्यापन के अधीन होगी और यदि कोई प्रतिकूल जानकारी प्राप्त होती है तो नियुक्ति को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा| उम्मीदवार को रिपोर्ट करने के समय निर्धारित प्रारूप में राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है| संतोषजनक सत्यापन तक, नियुक्ति अस्थायी रहेगी| मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार चरित्र सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थी को रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का स्व-प्रमाणित शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों मे उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुए नहीं छिपाया है |

14.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (non creamy layer) श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में चरित्र एवं पूर्ववर्ती जानकारी के सत्यापन के अलावा सक्षम प्राधिकारी से जाति के सत्यापन के अधीन होगा। यदि यह पाया जाता है कि

उम्मीदवार/प्रशिक्षु की जाति को मध्यप्रदेश की अनुसूची में आरक्षित वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है अथवा प्रस्तुत किया गया जाती प्रमाण पत्र नकली/जाली पाया जाता है तो, उम्मीदवार की नियुक्ति को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी |

15. <u>नोटिस की अवधि:</u>

कंपनी अथवा संविदा कार्मिक एक महीने का नोटिस या नोटिस के बदले एक महीने का पारिश्रमिक देकर बिना किसी उल्लेखित कारण एवं शर्त के सेवाओं को समाप्त कर सकते है |

16. <u>नियोजन की विशिष्टता:</u>

कंपनी के कार्यकाल के दौरान लाईन परिचारक (संविदा) को कंपनी की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य रोजगार या वाणिज्यिक प्रकृति के किसी भी बाहरी गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति नहीं दी जाएगी | यदि लाईन परिचारक (संविदा) इस बिंदु के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति को बिना किसी कारण बताए समाप्त कर दिया जाएगा |

17. <u>गोपनीय सूचना:</u>

17.1 लाईन परिचारक (संविदा) सेवाओं के दौरान, उसके द्वारा प्राप्त की गई/उसे सौंपी गयी सभी जानकारी को अत्यंत गोपनीय रखेगा और गोपनीयता का पालन करेगा । वह सेवाओं के दौरान अथवा सेवा सम्मप्ति के पश्चात भी पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगा एवं तदाशय की गोपनीयता भंग नही करेगा |

17.2 लाईन परिचारक (संविदा) की कंपनी के प्रति यह वचनबद्धता होगी की :

(अ) गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल कंपनी में सेवाएं करने के उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा |

(ब) किसी गोपनीय सूचना की गोपनीयता को सुरक्षित रखेगा |

(स) किसी भी उद्देश्य के पूरा होने पर या संस्था से विलग होने पर गोपनीय जानकारी (इसकी प्रतियों सहित) सभी दस्तावेजों या अन्य सामग्री कंपनी को वापस लौटायेगा|

17.3 इस बिंदु में उल्लेखित गोपनीय जानकारी का मतलब कंपनी के व्यापार, मामलों, संचालन, संपत्ति, संगठन, लेनदेन एवं उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, अधिकारियों और कंपनी के वित्तीय मामलो से संबंधित कोई भी जानकारी (चाहे मौखिक, लिखित, विजुअल आदि, हार्ड या सॉफ्ट कॉपी) और इसमें रिपोर्ट, सूचना, सलाह और सिफारिश (किसी भी रूप में) किसी भी व्यवहार्यता अध्ययन, मूल्यांकन, रिपोर्ट आदि बिना किसी सीमा के शामिल होगा |

18. <u>दस्तावेज:</u>

चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित दस्तावेजो की मूल एवं एक सत्यापित छायाप्रति लाना अनिवार्य है:

निम्नांकित मूल दस्तावेज एवं एक सेट सत्यापित छायाप्रति:

(क) जन्मतिथि के प्रमाण एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु 10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची |

(ख) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) मे मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से उत्तीर्ण आई.टी.आई (विद्युतकार/लाइनमैन/वायरमैन) की अंकसूची अथवा म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) म.प्र. शासन/म.प्र. की विद्युत् वितरण कंपनियों द्वारा जारी तार मिस्त्री (ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य में) प्रमाण पत्र |

(ग) वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो |

(घ) मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र |

(ङ) स्थायी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदक हेतु), जो कि म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र.F 7-2/92/आ.प्र/एक दि.01-08-96 एवं उत्तरवर्ती संशोधन (यदि हो तो) के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो | अ.पि.व (नॉन क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को तहसीलदार द्वारा जारी पिछले 03 वर्ष का नवीनतम आय प्रमाण पत्र/ नान क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा |

(च) म.प्र.राज्य के भूतपूर्व सैनिक के लिये जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवा के संबंध में प्रमाण पत्र|

(छ) निर्धारित प्रारूप में सेवा अनुबंध पत्र| (मूल प्रति)

(ज) 05 पासपोर्ट साइज वर्तमान फोटो |

(झ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र एवं बायोडाटा निर्धारित प्रारूप में | (मूल प्रति)

(ञ) अभ्यर्थी के स्थाई निवास के पते के प्रमाण |

(ट) अभ्यर्थी का फोटो आईडी प्रमाण (आधार/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/बैंक पास बुक)

(ठ) कार्यानुभव प्रमाण पत्र (केवल विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में मान्य)|

टीप: उपरोक्त दस्तावेजों की सूची में कंपनी द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

19. उच्च योग्यता/अनुभव के आधार पर उच्च पद में नियुक्ति के लिए कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा |

20. <u>क्षेत्राधिकार:</u>

चयन प्रक्रिया के साथ-साथ सेवा मामलों से उत्पन्न होने वाले कोई भी विवाद कंपनी के मुख्यालय में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र मे ही मान्य होंगे | कंपनी की सेवा म.प्र.औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत नही आती है|

21. <u>महत्वपूर्ण दिनांक:</u>

चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिनांक निम्नानुसार हैं :

क्र	विवरण		दिनांक
1	विज्ञापन जारी करने की तिथि	एम.पी.ऑनलाईन तथा कंपनी की वेबसाईट पर	31.05.2018
		समाचार पत्रों में	01.06.2018
2	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की दिनांक		02.06.2018
3	ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक		01.07.2018
4	आवेदन पत्र में सुधार (Edit Facility)		02.07.2018
5	एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाईट से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की दिनांक		09.07.2018
6	ऑनलाईन परीक्षा की दिनांक		23.07.2018
7	प्रश्न पत्र से संबंधित आपत्तियां दर्ज करने की दिनांक		25.07.2018 से 28.07.2018
8	ऑनलाईन परीक्षा के परिणाम का प्रकाशन		एम.पी.ऑनलाईन तथा कंपनी की वेबसाईट पर पृथक से सूचना दी जायेगी।
9	प्रवीण सूची का प्रकाशन एवं शारीरिक परीक्षा दक्षता हेतु आमंत्रण		

उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी तिथियां संभावित है। अतः अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथियों में फेर–बदल संभव है। आवेदकों को एन.पी.ऑनलाईन तथा कंपनी की वेबसाईट पर सूचना दी जायेगी। अतः इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना व्यक्तिशः नहीं दी जायेगी। नियुक्ति प्रकिया के दौरान एम.पी.ऑनलाईन (www.mponline.gov.in) तथा कंपनी की वेबसाईट (www.mpez.co.in) लगातार चेक करें।

<u>महत्वपूर्ण टीपः</u>

1. आवेदकों से निवेदन है कि पूरा विज्ञापन पढ़ने के उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन करें तथा विज्ञापन में प्रकाशित प्रावधानों को दूरभाष के माध्यम से पुनः ना पूछें। यदि आवेदक को किसी अन्य संबंध में समस्या है, जिसका उल्लेख विज्ञापन में नहीं किया गया है, केवल ऐसी स्थिति में दूरभाष से संपर्क करें।
2. ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत आवेदक अपना आवेदन क्रमांक संभाल कर रखें।
3. आवेदकों द्वारायात्रा किराया आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जावे। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किये गये कार्यानुभव प्रमाण पत्र तथा यात्रा किराया आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें।
4. विज्ञापन में वर्णित निबंधन एवं शर्तों के अतिरिक्त म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2018 के प्रावधान लागू होंगे। कंपनी द्वारा नियमों में संशोधन अथवा नए नियम लागू किये जाने की स्थिति में तदनुसार संशोधन/ परिवर्तन किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में अभयर्थियों का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं एवं प्रशा.)

म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,जबलपुर

लाईन परिचारक (संविदा) 2018

ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने वाले म.प्र. के मूल निवासी अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों को यात्रा किराया भुगतान हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का व्यक्तिगत विवरण			
नाम (श्री / श्रीमती / कु)			
आवेदन क्रमांक		मध्यप्रदेश का मूलनिवासी	हाँ
श्रेणी (वर्ग)– अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)		ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र का नाम	
पत्राचार हेतु वर्तमान पता (ऑनलाईन आवेदन के अनुसार)			
मोबाईल नं.		ई–मेल आईडी	

यात्रा विवरण					
यात्रा कहाँ से कहाँ तक	यात्रा की दिनांक	यात्रा का साधन (बस / रेल)	यात्रा की श्रेणी	बस / रेल टिकिट नं.	यात्री किराया (रु)
कहाँ से कहाँ तक					
कहाँ से कहाँ तक					
				योग	

बैंक खाता का विवरण			
बैंक खाता क्रमांक		खाता धारक का नाम	
बैंक का नाम		IFS कोड	
बैंक शाखा नाम एवं पता			

यात्रा किराया भुगतान हेतु इस आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य है:

1. प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) की फोटोकापी
2. जाति प्रमाण पत्र की फाटोकॉपी
3. एक तरफ की यात्रा टिकिट की मूलप्रति
4. मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवासी प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी
5. बैंक पास बुक के उस पृष्ठ की फोटोकॉपी जिसमें खाता धारक का नाम, खाता क्रमांक, IFS कोड, बैंक एवं ब्रांच का नाम अंकित हो अथवा उक्त जानकारी के सापेक्ष निरस्त (केन्सिल) चैक

घोषणा

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा मेरे द्वारा यात्रा भुगतान आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज़ संलग्न किये गए हैं। अंकित जानकारी गलत होने अथवा किसी दस्तावेज़ के अभाव में यात्रा भुगतान न किये जाने पर मेरे द्वारा कोई दावा नहीं किया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणीः प्रपत्र की सभी प्रविष्टियाँ आवेदक द्वारा भरी जावें व ऑनलाईन परीक्षा के पश्चात् आवेदन पत्र उपर्युक्त अभिलेखों सहित परीक्षा केन्द्र पर जमा किया जावे। यात्रा किराया भुगतान बैंक खाते में किया जायेगा। अतः इस संबंध में दूरभाष पर संपर्क न किया जावे।

लाईन परिचारक (संविदा) 2018 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुभव प्रमाण पत्र

(कार्यपालन अभियंता, समकक्ष अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया)

आवेदकों हेतु महत्वपूर्ण टीप: **कार्यानुभव हेतु केवल विज्ञापन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को कार्यानुभव का लाभ नहीं दिया जायेगा।**

कंपनी का नाम.. कार्यालय का नाम..

क्रमांक.. दिनांक..

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु..

पिता/पति श्री.. द्वारा इस कंपनी में ....

....के पद पर कार्य किया गया है। इनके कार्य अनुभव का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है–

म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडर/ 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर,/बाह्य स्त्रोत पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर/लाईन परिचारक (संविदा) का कार्यानुभव

क्र.	मीटर रीडर/ 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर,/बाह्य स्त्रोत पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर/लाईन परिचारक (संविदा)	अनुभव प्रारंभ दिनांक (dd/mm/yyyy)	अनुभव समाप्ति दिनांक (dd/mm/yyyy)	कुल अनुभव (पूर्ण माह में)

उपरोक्त कार्यानुभव को कार्यालयीन अभिलेखों से जाँच कर सत्यापित किया जाता है।

स्थान:

दिनांक:

जारीकर्त्ता अधिकारी की सील व हस्ताक्षर

(कार्यपालन अभियंता/समकक्ष व उच्च अधिकारी)

मोबाईल नं. ....

कार्यालय दूरभाष..

कार्यानुभव के संबंध में मुख्य बिंदु: एक से अधिक कंपनियों में कार्यानुभव होने पर आवेदकों को पृथक–पृथक अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। दो या दो से अधिक कार्य अनुबंधों के मध्य जिस अवधि में अभ्यर्थी अनुबंधित न रहा हो, वह अवधि कार्यानुभव में सम्मिलित नहीं की जावेगी। तार मिस्त्री प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव के सापेक्ष अधिकतम आयुसीमा में छूट एवं बोनस अंकों की पात्रता नहीं है।